


न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी - जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 09/2019  
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. विनोद कुमार पुत्र श्री रामचंद जाति जाट निवासी 1 वी के आर सरकज  
नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।  
....वादीगण

व न अ म

1. सुशील कुमार पुत्र श्री पूर्णराम जाति जाट साकिन 1 वी के आर सरकज  
नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. प्रदीप कुमार पुत्र श्री पूर्णराम जाति जाट साकिन 1 वी के आर सरकज नहर  
ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. संदीप कुमार पुत्र श्री पूर्णराम जाति जाट साकिन 1 वी के आर सरकज  
नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. सूरजमुखी पुत्री श्री पूर्णराम जाति जाट साकिन 1 वी के आर सरकज नहर  
ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. कमला पत्नी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री पूर्णराम साकिन 1 वी के आर  
सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
6. भीमसेन पुत्र श्री विनोद कुमार पुत्र श्री पूर्णराम साकिन 1 वी के आर  
सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
7. बीरबल राम पुत्र श्री खेतपात जाति जाट साकिन 1 वी के आर सरकज  
नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
8. प्रहलाद पुत्र श्री बलवन्त राम जाति जाट साकिन 1 वी के आर सरकज  
नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
9. लेखराज पुत्र श्री देवी लाल पुत्र श्री मल्लु राम जाति जाट साकिन 1 वी के  
आर सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
10. लिछमा देवी पुत्री श्री देवी लाल पुत्र श्री मल्लु राम जाति जाट साकिन 1 वी  
के आर सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
11. बिमला देवी पुत्री श्री देवी लाल पुत्र श्री मल्लु राम जाति जाट साकिन 1 वी  
के आर सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
12. बलवन्त पुत्र श्री रामजी लाल जाति जाट साकिन 1 वी के आर सरकज  
नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
13. कृष्ण लाल पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व  
जिला श्रीगंगानगर।
14. विजय सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व  
जिला श्रीगंगानगर।
15. बलवन्ती देवी पत्नी श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री रामजीलाल साकिन 8 एच एच  
तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
16. साहब राम पुत्र श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8  
एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
17. परमेश्वरी पत्नी श्री रामचन्द्र पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच  
एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
18. रोशनी पुत्री श्री रामचन्द्र पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच  
तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
19. रणधीर पुत्र श्री रामचन्द्र पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच  
तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
20. राजेन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच  
तहसील व जिला श्रीगंगानगर।



21. मदन लाल पुत्र श्री शेर सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
22. गायत्री पुत्री श्री शेर सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
23. दुर्गा पुत्री श्री शेर सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
24. पुष्पा पुत्री श्री शेर सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
25. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा शिवपुर।
26. शाखा प्रबन्धक, ओबीसी बैंक शाखा फतूही।
27. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री संजय जनवेजा  
पैरोकार राज

(वादीगण)  
(प्रतिवादी-27)

दिनांक 01 जुलाई, 2024

—निर्णय—

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीगण 1 बी के आर सरकज नहर ओडकी तह0 व जिला श्रीगंगानगर के स्थायी निवासियान है तथा कास्तकार पेशा चक सरकज नहर ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 13 का मु0 न0 7,8,9, 15 व 16 की कुल 6.514 है0 नहरी कृषि भूमि में से संयुक्त खाता में 0.253 है0 भूमि वादी के नाम से दर्ज कागजात है इस खाता की शेष भूमि में से 2.170 है0 भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से 0.543 है0 भूमि प्रतिवादीगण 5 व 6 के नाम से तथा 0.543 है भूमि प्रतिवादीगण 1 ता 6 की पूर्वजा श्रीमती सावित्री पत्नी पुर्णराम के नाम से, 0.759 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के नाम से, 0.739 है0 भूमि प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 के पूर्वज देवीलाल पुत्र श्री मलूराम के नाम से तथा 0.506 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 12 ता 24 के पूर्वज रामजीलाल पुत्र हरसुख के नाम दर्ज कागजात है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का मौखिक रूप से पारस्परिक सहमति अनुसार उक्त भूमि का घर बटवारा किया हुआ है। घर बटवारनामा के अनुसार वादी को कुल उक्त भूमि में से मु0 न0 15 के किला न0 01 कि 0.253 है0 भूमि प्राप्तशुदा है तथा वादी उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर वादी की फसल खडी है। वादी ने भारी मेहनत व खर्चा करके उक्त भूमि में सुधार कार्य एवं समतल करवाया है। वर्तमान में उक्त भूमि उपजाऊ बन चुकी है। वादी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है तथा आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग कर अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहता है। राजस्व रिकार्ड में भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होने के कारण वादी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है। तथा मामला लगान अदायगी पानी की बारी के समय हमेशा विवाद बना रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त भूमि घर बटवारानुसार व कब्जानुसार करवाने के लिए कई बार आग्रह किया है, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, मगर उन्होंने दिनांक 10.1.2019 को उन्होंने सहमति से खाता विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया, यही वाद कारण है। प्रतिवादी संख्या 27 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 26, के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 27 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 27 राज्य पक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 12 दिसम्बर 2019 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र के बिन्दु संख्या 01 वादी स्वयं सिद्ध करे एवं बिन्दु संख्या 2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज की सीमा तक

सहायक कलेक्टर एब  
कार्यालयक दण्डनायक  
(श्रीगंगानगर)

स्वीकार है। बिन्दु संख्या 3,4,5, वादी स्वयं सिद्ध करे बिन्दु संख्या 6 कानुनी है।  
है बिन्दु संख्या 7 कानुनी है तथा न्यायालय से सम्बन्धित है।

वकील वादी की बहस सुनने के पश्चात् वकील वादी के निवेदन पर वाद  
वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार राजस्व  
श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर  
द्वारा जरिए क्रमांक 2145 दिनांक 18.04.2023 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया  
गया। वकील वादी द्वारा तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन  
प्रस्ताव अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

### ॥ आदेश ॥


वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव चक सरकज  
नहर ओडकी, पटवार हल्का ओडकी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के जमाबन्दी  
सम्बन्ध 2070-2073 के खाता संख्या 12 के मु0 नं0 7, 8, 9, 15, 16 में कुल  
रकबा 6.400 हैक्टे0 नहरी का निम्न प्रकार से विभाजन किये जाने के आदेश  
दिये जाते हैं:-

- |   |   |
|---|---|
| 1. विनोद कुमार पुत्र रामचंद्र<br>जाति जाट सा0 देह खातेदार | मु0 नं0 15 के किला नं0 01<br>का 0.253 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि    |
| 2. शेष खाता कमलादेवी<br>वगैरहा बदस्तूर                    | मु0 नं0 7, 8, 9, 15, 16 में कुल<br>6.147 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि |

वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना व्यय करेंगे। स्टाम्प शुल्क पेश होने पर  
डिक्री पर्चा जारी हो।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि  
नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण  
भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड  
में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की  
किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार  
का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की  
मुद्रा से आज दिनांक 01 जुलाई, 2024 को जारी किया गया।

  
जीतू कुलहरी  
सहायक (राजस्व) एवं  
सहायक (कृषि) (पटवार) (क)  
(फरीदगढ़ नगर श्रीगंगानगर)

डिक्री  
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी - जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 09/2019  
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

विनोद कुमार पुत्र श्री रामचंद जाति जाट निवासी 1 बी के आर सरकज  
नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। ....वादीगण

ब न अ म

1. सुशील कुमार पुत्र श्री पूर्णराम जाति जाट साकिन 1 बी के आर सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. प्रदीप कुमार पुत्र श्री पूर्णराम जाति जाट साकिन 1 बी के आर सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. संदीप कुमार पुत्र श्री पूर्णराम जाति जाट साकिन 1 बी के आर सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. सूरजमुखी पुत्री श्री पूर्णराम जाति जाट साकिन 1 बी के आर सरकज ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. कमला पत्नी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री पूर्णराम साकिन 1 बी के आर सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
6. भीमसेन पुत्र श्री विनोद कुमार पुत्र श्री पूर्णराम साकिन 1 बी के आर सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
7. बीरबल राम पुत्र श्री खेतपात जाति जाट साकिन 1 बी के आर सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
8. प्रहलाद पुत्र श्री बलवन्त राम जाति जाट साकिन 1 बी के आर सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
9. लेखराज पुत्र श्री देवी लाल पुत्र श्री मल्लु राम जाति जाट साकिन 1 बी के आर सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
10. लिछमा देवी पुत्री श्री देवी लाल पुत्र श्री मल्लु राम जाति जाट साकिन 1 बी के आर सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
11. बिमला देवी पुत्री श्री देवी लाल पुत्र श्री मल्लु राम जाति जाट साकिन 1 बी के आर सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
12. बलवन्त पुत्र श्री रामजी लाल जाति जाट साकिन 1 बी के आर सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
13. कृष्ण लाल पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. विजय सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. बलवन्ती देवी पत्नी श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री रामजीलाल साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
16. साहब राम पुत्र श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
17. परमेश्वरी पत्नी श्री रामचन्द्र पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

सहायक कलक्टर एवं  
कार्यापालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

18. रेशनी पुत्री श्री रामचन्द्र पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
19. रणधीर पुत्र श्री रामचन्द्र पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
20. राजेन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
21. मदन लाल पुत्र श्री शेर सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
22. गायत्री पुत्री श्री शेर सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
23. दुर्गा पुत्री श्री शेर सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
24. पुष्पा पुत्री श्री शेर सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट साकिन 8 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
25. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा शिवपुर।
26. शाखा प्रबन्धक, ओवीसी बैंक शाखा फतूही।
27. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित- श्री संजय जनवेजा  
पैरोकार राज

(वादीगण)  
(प्रतिवादी-27)

वादपत्र संख्या 09/2019  
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं पैरोकार राज प्रतिवादी-27 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि - चक सरकज नहर ओडकी, पटवार हल्का ओडकी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के जमाबन्दी सम्वत्. 2070-2073 के खाता संख्या 12 के मु0 नं0 7, 8, 9, 15, 16 में कुल रकबा 6.400 हैक्टे0 नहरी का निम्न प्रकार से विभाजन किया जाता है:-


- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1. विनोद कुमार पुत्र रामचंद्र<br>जाति जाट सा0 देह खातेदार |  | मु0 नं0 15 के किला नं0 01<br>का 0.253 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि    |
| 2. शेष खाता कमलादेवी<br>वगैरहा बदस्तूर                    |  | मु0 नं0 7, 8, 9, 15, 16 में कुल<br>6.147 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि |

अतः डिकी जारी की जाती है।  
रूपये ...शून्य ...वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य..  
...दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 26 जुलाई, 2024 को जारी की गयी.

जीतू फतूही  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
(फतूही तहसील श्रीगंगानगर)

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

  
 जीतू कुलहरी  
 सहायक (जा.स.ए.स.) एव  
 सहायक कर्षण (कॉस्ट टैक)  
 ( श्रीवर्द्धनगर ) श्रीगंगानगर